परिवारों के लिए COVID-19 से सम्बन्धित सलाह

जून 2021 को अपडेट किया गया

हम ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य संरक्षण प्रमुख समिति (Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)), NSW हेल्थ (NSW Health) और अन्य संस्थाओं के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए करीबी से काम कर रहे हैं कि COVID-19 के इस परिवेश में हमारे स्कूल सबसे सुरक्षित संभावित तरीकों से संचालन करना जारी रखें।

NSW हेल्थ से नवीनतम सलाह

COVID-19 के बारे में अपडेट (नवीन जानकारी) नियमित आधार पर प्रदान किए जाते हैं। परिवारों को नवीनतम जानकारी के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर नज़र रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है – NSW सरकार की वेबसाइट (NSW Government website)।

COVID-19 के प्रकोप के कारण NSW हेल्थ घर पर रहने के आदेश लागू किए जाने की स्थिति में, स्कूल के संचालनों में परिवर्तन हो सकते हैं। कृपया संचालनों में परिवर्तनों के बारे में अपने स्कूल से पूछें और आपके स्कूल पर कर्मचारियों द्वारा दी गई संपूर्ण सलाह का अनुपालन करें, इसमें यदि निवेदन किया जाए तो स्कूल के मैदानों में गैर-अत्यावश्यक प्रयोजनों के लिए प्रवेश न करना शामिल है।

घर से शिक्षा प्राप्ति

निम्नलिखित परिस्थितियों में विद्यार्थियों को घर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए समर्थन दिया जाएगा:

- यदि COVID-19 के किसी पॉज़िटिव (सकारात्मक) या संदिग्ध करीबी संपर्क होने के कारण उनके लिए सेल्फ-आइसोलेट (अपने आपको दूसरों से अलग) करना आवश्यक है।
- उस परिस्थिति में जहाँ स्कूल को जन स्वास्थ्य सलाह के अधीन COVID-19 के प्रकोप के कारण केवल अत्यावश्यक कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्थल पर शिक्षा प्रदान करने का निदेश दिया जाता है।

घर से शिक्षा प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधन तथा प्रिंट की गई वर्कशीट एवं संसाधनों शामिल हैं।

स्थल पर शिक्षा प्राप्ति के दौरान उपस्थिति सलाह

NSW हेल्थ से प्राप्त सलाह के अनुसार, माता-पिता और देखभालकर्ताओं को यह याद दिलाया जाता है कि यदि उनके बच्चे अस्वस्थ हैं, तो वे उन्हें स्कूल **न** भेजें, भले ही उन्हें हल्के से हल्के फ़्लू-जैसे लक्षण ही हों।

NSW हेल्थ ने यह अनुरोध किया है कि स्कूल हर किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अस्वस्थ है या जिसे भले ही हल्के से हल्के फ़्लू-जैसे लक्षण ही हैं, अपने स्थानीय चिकित्सीय व्यावसायिक या किसी COVID-19 क्लिनिक (COVID-19 clinics) के माध्यम से टेस्ट करवाने का प्रबंध करने का बढ़ावा दें।

फ़्लू-जैसे लक्षणों वाले विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें स्कूल वापस आने की अनुमति दिए जाने से पहले वे टेस्ट करवाएँ और COVID-19 के नेगेटिव (नकारात्मक) टेस्ट परिणाम की एक कॉपी प्रदान करें तथा वे लक्षणमुक्त हों।

जो विद्यार्थी COVID-19 का टेस्ट नहीं करवाते हैं, उन्हें 10-दिन की अवधि के लिए स्कूल वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, स्कूल वापस आने से पहले यह ज़रूरी है कि वे कम से कम 3 दिनों के लिए लक्षणमुक्त हों।

स्थल पर शिक्षा-प्राप्ति के दौरान उपस्थिति सलाह (जारी है)

वे विद्यार्थी जिन्हें मौसमी एलर्जी संबंधी राइनाइटस (नासाशोध) या कोई अन्य समस्या है जिससे फ़्लू-जैसे लक्षणों के समान लक्षण प्रस्तुत होते हैं, उनके लिए भी COVID-19 का टेस्ट करवाना तथा नेगेटिव टेस्ट परिणाम का होना आवश्यक है। यदि लक्षण 10 दिनों से अधिक के लिए जारी रहते हैं, तो विद्यार्थियों को अपने डॉक्टर से यह दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे कि उनके लक्षण उनकी समस्या के लिए सामान्य हैं। यदि विद्यार्थी में नए या परिवर्तित लक्षण विकसित होते हैं, तो उन्हें COVID-19 के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। COVID-19 के लक्षणों (COVID-19 symptoms) के बारे में और अधिक जानकारी का पता लगाएँ।

जटिल स्वास्थ्य या विकलाँगता से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए COVID-19 का टेस्ट करवाना चुनौतिपूर्ण हो सकता है। इन स्थितियों में, स्कूल माता-पिता या देखभालकर्ता को यह कहेगा कि वे अपनी संतान का आकलन उसके चिकित्सीय पेशेवर से करवाएँ। यदि चिकित्सीय पेशेवर यह निर्धारण करता है कि COVID-19 के टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो यह ज़रूरी है कि स्कूल को दस्तावेज़ प्रदान किए जाएँ जिससे यह पुष्टि हो सके कि विद्यार्थी को ऐसे लक्षण नहीं है जिससे COVID-19 का टेस्ट करवाना पड़े। सर्टिफिकेट में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि विद्यार्थी स्कूल वापस आने में सक्षम है।

सभी स्कूलों और परिवारों के लिए एक रिमांडर (स्मरण)

यह महत्वपूर्ण है कि स्कूल और परिवार COVID-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना जारी रखें। विशेष रूप से, हम निम्नलिखित को विशिष्टता से दर्शाना चाहते हैं:

- स्कूलों के लिए यह ज़रूरी है कि वे निम्नलिखित करना जारी रखें:
  - व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक दूरी, साफ-सफाई और रिकॉर्ड-कीपिंग के अभ्यासों को लागू करना।
  - जहाँ संभव हो, पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए बाहरी क्षेत्रों का प्रयोग करना, यदि मौसम इसकी अनुमति दे तो, या विशाल खुले स्थलों का प्रयोग करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि स्कूली स्थल पर आने वाले सभी आगंतुक स्वस्थ और लक्षणमुक्त हैं, साइन-इन प्रबंधों का अनुपालन करते हैं, जिनमें यह स्वीकार करना शामिल है कि वे प्रत्येक बार आने पर आगंतुकों (विज़िटरों), ठेकेदारों (कांट्रेक्टरों) और सेवा प्रदाताओं के लिए COVID-19 की आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। सभी आगंतुकों के लिए यह भी ज़रूरी है कि Service NSW QR code का प्रयोग करके चेक इन करें। विद्यार्थियों को ड्राप-आफ या पिक-अप करने वाले माता-पिता को साइन इन करने या Service NSW QR code का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है।

फेस मास्क पहनना और शरीर के तापमान की जांच करना

यदि कोई व्यक्ति स्कूल पर अपना खुद का मास्क पहनना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जाएगा।

उन अवधियों के दौरान जहाँ जन स्वास्थ्य आदेशों के कारण जन परिवहन पर मास्क पहनना अनिवार्य हो, वहाँ 13 साल और इससे अधिक की आयु वाले विद्यार्थियों के लिए इस निदेश का अनुपालन करना आवश्यक है। कर्मचारियों के लिए भी जन परिवहन पर यात्रा करते समय तथा साथ ही जन परिवहन या चार्टर्ड या निजी परिवहन सेवा पर शिक्षण के लिए आयोजित ट्रिप की यात्रा करने के दौरान इस निदेश का अनुपलन करना आवश्यक है।

स्कूलों में व्यापक तौर पर व्यक्तियों के तापमान की जांच किए जाने की ज़रूरत नहीं है या इसका सुझाव नहीं दिया जाता है।

स्कूल की साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी आपूर्तियाँ

आपका स्कूल AHPPC के दिशा-निर्देशों और NSW हेल्थ की सलाह के अनुसार अतिरिक्त साफ-सफाई प्राप्त करनी जारी रखेगा। लक्षित क्षेत्रों में बार-बार छुए जाने वाले क्षेत्र और अन्य ठोस सतहें, दरवाज़े के हैंडल, लॉकर, लाइन स्विच और सीढ़ियों में हैंडरेल तथा गतिविधि वाले क्षेत्र शामिल हैं। शौचालयों और बबलर्स (पानी पीने के नलों) की अतिरिक्त साफ-सफाई की जाएगी तथा साबुन जैसी आपूर्तियों को भरकर रखा जाएगा।

स्कूल लिक्विड सोप, हैंड सेनेटाइज़र, पेपर टॉवल, सरफेस स्प्रे और डिसइंफेक्टेन्ट वाइप्स सहित स्वच्छता उत्पाद प्रदान करने जारी रखेंगे।

COVID-19 के मामलों पर प्रतिक्रिया करनी

हमारे स्कूलों में COVID-19 के किन्हीं संदिग्ध या पुष्टिकृत मामलों पर प्रतिक्रिया करने के लिए स्कूलों के लिए एक स्पष्ट योजना है। हम NSW हेल्थ के साथ करीबी से काम कर रहे हैं और यदि स्थिति उत्पन्न होती है तो हम माता-पिता के साथ बातचीत करेंगे। COVID-19 के मामलों के लिए हमारे प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल्स (Response protocols for COVID-19 cases) के बारे में और अधिक पढ़ें।

परिवहन

स्कूलों से आने-जाने के लिए बस सेवाओं का सामान्य तरीके से संचालन करना जारी रहेगा। स्कूल से आने-जाने से सम्बन्धित यात्रा सलाह के लिए, NSW परिवहन (Transport for NSW) का संदर्भ लें।

टेलीफोन दुभाषिया सेवा

यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया अपने स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करें। यदि अपनी पूछताछ में मदद के लिए आपको दुभाषिए की ज़रूरत है तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फोन करें और अपनी भाषा के दुभाषिए की व्यवस्था किए जाने के लिए कहें। इस सेवा के लिए आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा।